आते हैं। 17 वर्ष से कम आयु वाले बालक व किशोर श्रमिकों के काम के साढ़े चार घंटे प्रतिदिन निर्धारित किये गये हैं तथा उनका फैलाव 5 घंटे से अधिक्र नहीं हो सकता, बच्चों को 15 दिन के कार्य करने के बाद 1 दिन का सवेतन अवकाश और वर्ष में 14 दिन सवेतन अवकाश देना निश्चित हुआ है।

6. **संवैधानिक व्यवस्था** (Constitutional Provisions) : संविधान के 24वें अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी कारखाने या खान में नौकर नहीं रखा जा सकता और न किसी दूसरी संकटमय नौकरी में लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 39 (ङ) और (च) में बच्चों की कोमल और कच्ची वय का आदर करने तथा उनका शोषण न करने की बात कही गयी है।

7. **अंतर्राष्ट्रीय कानून** (International Laws) : संयुक्त राष्ट्र महासभा में बच्चों के अधिकारों के बारे में पहली बार एक अंतर्राष्ट्रीय कानून पास किया गया है। यह कार्यवाही बच्चों के बारे में लोगों के राजनीतिक और मानवीय उत्तरदायित्व पूरा करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। यह कानून महासभा के 44वें अधिवेशन में स्वीकार किया गया। इससे विभिन्न देशों के बच्चों के बारे में राजनीतिक और मानवीय प्रतिबद्धता अब एक अंतर्राष्ट्रीय कानून बन गया है।

8. **बाल श्रम (निषेध और नियमन) अधिनियम, 1986** (Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986) : बाल श्रम (निषेध और नियमन) अधिनियम, 1986 में जोखिम वाले व्यवसायों में बच्चों की मनाही है और कुछ अन्य क्षेत्रों में उनको काम देने संबंधी नियम बनाये गये हैं।

27 जनवरी, 1999 को जारी एक अधिसूचना के जरिये अधिनियम की अनुसूची का काफी विस्तार किया गया है और इसमें दर्ज पेशों और प्रक्रियाओं की संख्या बढ़ाकर क्रमश: 13 और 51 कर दी गयी है।

9. **बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीति, 1987** (National Policy on Child Labour, 1987) : सन् 1987 में बाल श्रम पर एक राष्ट्रीय नीति बनायी गयी जिसमें कानूनी प्रावधानों को लागू किये जाने के अलावा बाल श्रमिकों के लाभ के लिए सामान्य विकास कार्यक्रमों और बाल अधिकता वाले क्षेत्रों में परियोजना आधारित कार्य योजना पर ध्यान देने जैसी बातें शामिल की गयीं।

परियोजना कार्ययोजना के अंतर्गत बाल-श्रमिकों के पुनर्वास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना चलायी जा रही हैं। बाल मजदूरी से मुक्त कराये गये बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और पूरक पोषाहार आदि उपलब्ध कराने के लिए विशेष विद्यालय खोलने का प्रमुख कार्य हाथ में लिया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे बाल-श्रमिकों की समस्याओं वाले राज्यों में 2.13 लाख बाल श्रमिकों के लिए 100 परियोजनाओं को मंजूरी दी गयी है। नौवीं योजना में सरकार ने राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी है।

10. **राष्ट्रीय एजेंडा** (National Agenda) : बाल श्रम की समस्या को हल करने की सरकारी प्रतिबद्धता शासन के राष्ट्रीय एजेंडा, 1998 की घोषणा में परिलक्षित होती है। एजेंडा में कहा गया है कि इसका लक्ष्य इस बात की पक्की व्यवस्था करना है कि कोई भी बच्चा निरक्षर, भूखा या चिकित्सा सुविधा के अभाव में न रहे और बाल श्रम को समाप्त करने के उपाय किये जायेंगे। उच्चतम न्यायालय ने इसके लिए समयबद्ध कार्य की आवश्यकता पर भी बल दिया है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) संख्या 465/1986 में अपने 10 दिसंबर, 1996 के फैसले में कुछ निर्देश दिये हैं, जिनमें बताया गया है कि खतरनाक धंधों में काम कर रहे बच्चों को उस काम से किस तरह हटाकर उनका पुनर्वास किया जाये और किस तरह गैर-खतरनाक काम करने वाले बच्चों की कामकाज की दशाओं को नियंत्रित किया जाये तथा उनमें सुधार लाया जाये। फैसले में जो महत्त्वपूर्ण निर्देश दिये गये हैं, उनमें खतरनाक उद्योग धंधों में लगे बच्चों से काम करवाने वाले मालिकों द्वारा 20,000 रुपये तक के मुआवजे का भुगतान, बाल मजदूर पुनर्वास और कल्याण कोष की स्थापना, खतरनाक उद्योग धंधे से हटाये गये बच्चे के स्थान पर उसके परिवार के एक प्रौढ़ सदस्य को वैकल्पिक रोजगार देना अथवा प्रत्येक बच्चे के लिए 5,000 रुपये तक की राशि का भुगतान, छह महीने के भीतर (10 जून, 1997 तक) काम करने वाले बच्चों का सर्वेक्षण का काम पूरा करना, काम से हटाये गये बच्चों के लिए उपयुक्त संस्थानों में शिक्षा की व्यवस्था करना आदि शामिल हैं। सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को प्रभावी बनाने के लिए पहल के रूप में अनेक कदम उठाये हैं।

Scanned with CamScan

महिला-श्रम Women Labour

की अर्थव्यवस्था में स्त्रियों का किसी न किसी रूप में अपना अंशदान अवश्य ही रहा है। पहले महिलाओं की उत्पादन क्रियाएं, इसी बात तक सीमित थीं कि वे मनुष्यों को कृषि, हाथ के काम, पशुपालन और घरेलू कार्यों में सहायता करें। परंतु औद्योगीकरण, नारी-शिक्षा व बड़े पैमाने के उत्पादन के प्रारंभ होने से अधिक महिलाओं ने लाभप्रद रोजगार क्षेत्र में प्रवेश किया है और अब तक का इतिहास यह बताता है कि किसी भी रूप में वे पुरुषों से पीछे नहीं हैं और आवश्यकता पड़ने पर पुरुषों की भांति ही प्रत्येक प्रकार के कार्य कर सकती हैं। वी. वी. गिरि ने उचित ही लिखा है, ''यदि उद्योगों में काम करने वाली स्त्रियों की संख्या कम है तो इसका यह कारण नहीं कि भारत की स्त्रियां उद्योग में काम करना नहीं चाहतीं, बल्कि केवल इस कारण कि देश में औद्योगीकरण में अभी पर्याप्त प्रगति नहीं हो पायी और अब भी लाखों पुरुषों को रोजगार देना बाकी है। स्त्रियों में भी श्रमशक्ति का विशाल भंडार है और उनमें भी कार्य करने की इच्छा एवं आग्रह दोनों ही विद्यमान हैं और जब तेजी से औद्योगीकरण करने का समय आयेगा तो उनकी सेवाओं का भी उचित प्रयोग किया जा सकेगा।''

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(1) तथा 16(2) पुरुषों और महिलाओं को बिना किसी संविधान के रोजगार के समान अवसरों का अधिकार प्रदान करते हैं। इससे संबंधित राजनीति का निर्देशक सिद्धांत 39(अ) है। इन्हीं तथ्यों के संदर्भ में महिलाओं के रोजगार पर विचार किया जाता है।

भारत में महिला श्रम के प्रमुख तथ्य
(Main Facts of Women Labour in India)

(i) भारत की जनगणना के अनुसार महिला श्रमिकों की संख्या 22.73 प्रतिशत है, यानी देश में महिलाओं की कुल संख्या (40 करोड़ 70 लाख) में से नौ करोड़ महिला श्रमिक हैं।

(ii) अधिकांश श्रमिक महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के महिला श्रमिकों में 87 प्रतिशत खेतिहर मजदूर हैं।

(iii) शहरी क्षेत्रों में 80 प्रतिशत श्रमिक महिलाएं घरेलू उद्योगों, छोटे छोटे व्यवसायों और नौकरी तथा भवन निर्माण जैसे असंगठित क्षेत्रों में काम कर रही हैं।

(iv) संगठित क्षेत्र (निजी और सार्वजनिक दोनों) में 31 मार्च, 1999 को महिला श्रमिकों की संख्या लगभग 48 लाख 26 हजार थी। यह देश में संगठित क्षेत्र में कुल रोजगार का 16.4 प्रतिशत है।

(v) प्रमुख उद्योगों में महिला कर्मचारियों की संख्या के विश्लेषण से पता चलता है कि अधिकतर महिलाएं सामुदायिक, सामाजिक और निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं। बिजली, गैस और पानी जैसे क्षेत्रों में सबसे कम संख्या में महिलाओं को रोजगार मिला हुआ है।

(vi) फैक्ट्री, खान और वृक्षारोपण प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों की कुल संख्या का क्रमश: 12 प्रतिशत, 6 प्रतिशत और 51 प्रतिशत महिलाएं हैं।

विभिन्न भारतीय उद्योगों में महिला श्रमिक
(Women Labour in Various Indian Industries)

1. **कारखाना उद्योग में महिला श्रम** (Women labour in factories) : कारखाना उद्योग में महिलाएँ अधिकतर निम्न व्यवसायों में संलग्न हैं : खाद्यान्न, कॉटन-जिनिंग व प्रेसिंग, तंबाकू, अलौह धातु उद्योग, कागज, रासायनिक पदार्थ, लकड़ी, सूती, ऊनी, रेशमी एवं जूट टैक्सटाइल्स और धान व दाल मिलें। कारखाना उद्योगों में जितनी महिलाओं को रोजगार मिला हुआ है उनमें से लगभग आधी कपास और जूट मिलों में लगी हुई हैं।

2. **बागानों में महिला श्रम** (Women labour in plantations) : बागानों में भी स्त्री-श्रमिकों की संख्या उल्लेखनीय है। सन् 1972 में बागानों में कुल शक्ति में से महिलाओं का प्रतिशत 41.6 था। बागानों में इतनी अधिक संख्या में महिलाओं को लगाने के कारण इस प्रकार हैं : (*अ*) चाय की पत्तियां तोड़ने का कार्य पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं के कोमल हाथों द्वारा अधिक सुगमता और शीघ्रता से संपन्न किया जा सकता है, (*ब*) इस कार्य के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती। गांव

Scanned with CamScanner